URGENT
PMAY-G

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(48) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/जिला/2017–18 जयपुर, दिनांक 17 मई, 2018

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के सम्बन्ध में।
प्रसंग :– विभागीय बैठक सूचना दिनांक 09.05.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक बैठक सूचना के क्रम में माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एवं संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की समीक्षा दिनांक 15.05.2018 को की गई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार एवं लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों की वरीयता सूची (PWL) आवाससॉफ्ट पर उपलब्ध है एवं वर्ष 2022 तक सभी को आवास दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। उक्त के क्रम में पूर्व निर्देशानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी पात्र लाभार्थियों के पंजीयन सुनिश्चित किये जावें। इस क्रम में निर्देश दिये गये कि वर्ष 2018–19 तक राज्य को 6.17 लाख के लक्ष्य आवंटित किये गये थे, बैठक के दौरान ही संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि 70,000 के अतिरिक्त लक्ष्य राज्य को आवंटित किये गये है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के ध्यान में लाया गया कि राज्य द्वारा 2 लाख के अतिरिक्त लक्ष्यों के प्रस्ताव के मद्देनजर शेष 1.30 लाख लक्ष्य भी आवंटित किये जावें। इस हेतु सभी जिलों को निर्देश है कि राज्य को अब तक प्राप्त एवं 1.30 लाख के प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लक्ष्यों को जोडकर कुल लक्ष्य के बराबर समस्त जिलों द्वारा पंजीकरण इसी माह सुनिश्चित किया जावें। साथ ही अबतक चूरू, अलवर, जैसलमेर, राजसमन्द, बीकानेर एवं करौली जिलों द्वारा पूर्व में प्राप्त लक्ष्यों के विरूद्ध शतप्रतिशत पंजीकरण नहीं किये जाने की प्रगति पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा असंतोष प्रकट किया गया।
2. योजना के अन्तर्गत स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त राशि रुपये 30,000 पीएफएमएस के माध्यम से हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश है। राज्य की वर्ष 2016–17 व 2017–18 की प्रगति 99 प्रतिशत (473887 स्वीकृत आवासों में से 469857 को प्रथम किश्त जारी की गई) है। जिसे शत प्रतिशत किया जावें।
3. राज्य में वर्ष 2016–17 एवं 2017–8 के लक्ष्य 473887 के विरूद्ध 305915 आवास ही पूर्ण हुए है, जबकि यह सभी आवास माह मार्च, 2018 तक पूर्ण कराने के निर्देश है, इस क्रम में विभागीय पत्र दिनांक 08 मई, 2018 द्वारा माह जुलाई, 2018 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावें। उल्लेखनीय है कि राज्य में 28586 लाभार्थियों का द्वितीय किश्त हेतु निरीक्षण, 137617 लाभार्थियों का तृतीय किश्त हेतु निरीक्षण बकाया है। अतः उक्त बकाया द्वितीय एवं तृतीय किश्त के निरीक्षण न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के दौरान पूर्ण करवाये जाने हेतु कार्ययोजना बनाकर ग्राम पंचायतवार लक्ष्य आवंटित किये जावें।
4. संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के अन्तर्गत 8 पैरामीटर के अधार पर राष्ट्रीय स्तर पर समग्र प्रगति का आंकलन कर पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर की रैंक, गणना उपरान्त निर्धारित की जाती है। यह दैनिक आधार पर अद्यतन की जा रही है। इस क्रम में पूर्व में भी सभी जिलों को विभागीय पत्र दिनांक 01 जनवरी, 2018 द्वारा अवगत कराया जा चुका है एवं समय–समय पर विभिन्न जिलों की रैंकिंग के क्रम में जिलों से सुधार हेतु पिछड़ रहे पैरामीटरों में सुधार हेतु निर्देशित किया गया है। अतः आप अपने जिले के सम्बन्धित अधिकारियों को जिला/ब्लॉक व ग्राम पंचायत की रैंकिंग का यथोचित उपयोग कर आवश्यक सुधार हेतु निर्देशित करावें।

5. 31 मार्च 2015 को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/ जिला स्तर पर सम्बन्धित खातें को बन्द कर राशि SNA में हस्तान्तरित हेतु जारी निर्देशों की पालना के क्रम में जिलों द्वारा अवगत कराया गया था कि जिलों द्वारा समस्त राशि SNA में हस्तान्तरित कर दी गई है एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत प्रशासनिक मद के खाते के रूप में जिला/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर एक–एक खाता ही संधारित किया जाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सूचना अनुसार राज्य के 14 जिलों द्वारा योजनान्तर्गत दो–दो खाते संधारित किये जा रहे है, जो कि एक गंभीर अनियमितता है। इस क्रम में निर्देश है कि 3 दिवस में योजनान्तर्गत केवल एक खाते के अतिरिक्त अन्य खातों को बन्द कराया जाना एवं प्रशासनिक मद के अतिरिक्त अन्य अवशेष राशि को राज्य स्तरीय नोडल खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करावें।
6. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की समस्त योजनाओं के क्रम में ग्राम संवाद एप उपलब्ध है, जो जन साधारण हेतु भी उपलब्ध है, जिसका प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जावे।
7. विभागीय पत्र दिनांक 21.03.2018 के क्रम में संपादित ग्राम सभाओं से अनुमोदित नये पात्र लाभार्थियों से सम्बन्धित विभिन्न जानकारियां एवं जिओं टैगिंग हेतु विकसित Aawas+app के बारे में सभी आवास प्रभारियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। अतः निर्धारित तिथि 05.06.2018 तक समस्त कार्यवाही पूर्ण की जावें।
8. आवासों के गुणवत्तापूर्ण पूर्ण कराने हेतु निर्देश देते हुए पूर्ण आवासों की HD फोटो ही आवाससॉफ्ट पर अपलोड की जावें।
9. विभिन्न जिलों से सम्बन्धित ऑडिट पैरा की पालना भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
10. न्याय आपके द्वार 2018 के दौरान सभी भूमिहीन पात्र परिवारों को अनिवार्य रूप से नियमानुसार आवासीय भू–खण्ड आवंटित कराया जावें।
11. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हाल ही में निर्धारित अवधि उपरान्त अधूरे रहे आवासों की किश्तों का भुगतान रोका गया था, के क्रम में देरी के कारणों को आवासएप पर अंकित कर भुगतान स्वीकृति प्राप्त करने एवं भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो, को सुनिश्चित करने हेतु किश्त हस्तान्तरण के 90 दिवस में अगली किश्त हस्तान्तरित सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
12. इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने एवं निरीक्षण उपरान्त भुगतान हेतु लम्बित 20834 आवासों की किश्त तीन दिवस में जारी की जावे।
13. SECC Data Remapping के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि वर्तमान में प्रदर्शित एवं जिस ग्राम पंचायत में Data Remapping किया जाना है, दोनों ही ग्राम पंचायत की विशेष ग्राम सभा आयोजित कर Data Remapping के अनुसार अंतिम PWL का अनुमोदन कराकर ग्राम सभा Resolution के साथ प्रस्ताव भिजवाये जावें।

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।

17/3/18
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि